

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 सितम्बर 2024—भाद्र 14, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2024

शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 3611-इक्कीस-ब (एक)-2024.—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3106-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 22 जून 2023 जो दिनांक 23 जून 2023 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पृष्ठ क्रमांक 570 में,—

- (एक) पंक्ति क्रमांक 21 में, नियम 11 के खण्ड (ग) में, शब्दों "सेवा समाप्त" के स्थान पर शब्दों "सेवा से उन्मुक्त" पढ़ा जाए.
- (दो) पंक्ति क्रमांक 28 में, नियम 11 के खण्ड (ड) में, शब्दों "सेवोन्मुक्त नकर" के स्थान पर शब्दों "सेवा से उन्मुक्त न कर" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.